न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर, देहरादून।

<u>आदेश</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त ने स्वेच्छा जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को साधारण कारावास भोगना होगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
विकासनगर, जिला देहरादून।